संशोधित स्मृति–पत्र

1.	संस्था का नाम	–	सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान हंडिया, इलाहाबाद
2.	संस्था का पता	–	ग्राम किसान सेवा संस्थान, सियाडीह, पो0–हंडिया, तहसील–हंडिया, इलाहाबाद
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा
4.	संस्था का उद्देश्य	–	संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित होगा।

1. इस समिति का उद्देश्य केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था, स्वावलम्बन व अन्त्योदय के आधार पर सम्पूर्ण क्रान्ति की दिशा में नये अहिंसक ग्रामीण समाज की रचना करना है, जिससे शोषण और विषमतायें न हों और हर व्यक्ति का अपने विकास का अवसर मिले/प्राप्त हो।

2. ग्रामोन्मुखी खादी ग्रामोद्योग एवं लघु कुटीर उद्योग तथा कृषि, पशुपालन के माध्यम से रोजगार सुलभ करना तथा प्रशिक्षण अनुसंधान की व्यवस्था करना, विद्यालय, पुस्तकालय खोलना एवं उनका संचालन करना।

3. निरक्षरता निवारण हेतु प्रौढ़ शिक्षा व बाल शिक्षा एवं नर्सरी शिक्षा की व्यवस्था करना।

4. पत्र–पत्रिकायें निकालना तथा उसके प्रचार प्रसार करना।

5. महात्मा गांधी जी द्वारा किये गये सभी रचनात्मक कार्यो को खड़ा करना।

6. समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति गृह आदि खोलना व उनका संचालन करना।

7. सिलाई–कताई, कढ़ाई–बुनाई आदि का प्रशिक्षण देना एवं संचालन करना।

8. हाथ के कते–बुने, खादी वस्त्रों तथा ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन विनियमन प्रशिक्षण तथा इसके द्वारा ग्रामों में रोजी सुलभ कराने हेतु कार्यक्रम निश्चित करना।

अध्यक्ष
सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान
हंडिया इलाहाबाद

मंत्री
सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान
हंडिया–इलाहाबाद

सत्य प्रतिलिपि

9. उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिकों, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग निदेशालय आदि से दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा विकास में लगाना प्राप्त आय को चेरिटेबुल कार्यो पर व्यय करना।

10. समाज के आधारभूत आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए कल्याणकारी योजनाओ की स्थापना करना । जैसे मूकबधिर, विकलांग तथा आश्रम पद्वति विद्यालय एवं शिक्षा संस्थाओ की स्थापना करना ।

11. शिक्षण एंव तकनीकी सेवा का प्रसार–प्रचार करके स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार महिलाओं द्वारा अनुदान प्राप्त करना ।

12. बालक–बालिकाओं के विकास हेतु बालबाड़ी, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बुनियादी शिक्षा एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों को परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जानकारी देना, साहित्य उपलब्ध कराना, परिवार नियोंजन सम्बन्धित चिकित्सा शिविरों का निःशुल्क आयोंजन करना । लोगो को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक या एक से अधिक पुस्तकालय विद्यालय खोलना ।

15. बालबाड़ी, शिशु पालन केन्द्र खोलना एवं वृक्षारोपण करना तथा पर्यावरण दूषित होने से बचाना ।

16. समाज मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि केन्द्र/राज्य के मंत्रालय/विभागों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को कियान्वित करना । कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार/केन्द्र तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए (सेतु) का कार्य करना।

अध्यक्ष

प्रतिलिपि

17. विद्यालय, वाचनालय, निःशुल्क औषधालय, व्यायामशाला, ओल्ड एड्स होम, गौशाला इत्यादि का निर्माण करना ।

18. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई–स्कूल, इण्टरमीडीएट, महाविद्यालय की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना । इसके लिए प्रतियोगी पाठशाला, मदरसा आदि की व्यवस्था करना । सभी के लिए शिक्षा , अनौपचारिक शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) प्रदान करना ।

19. युवाओं का मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ, शैक्षिक तथा स्वरोजगार, विकास की व्यवस्था करना एवं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने बच्चों/युवाओं की चतुर्मुखी विकास तथा उन्हें समाज सेवा, स्वावलम्बन का पाठा पढ़ाना, विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाले शुल्क युवक समारोहों, प्रशिक्षण शिविरों एवं खेलकूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना व नेतृत्व क्षमता का विकास करना ।

20. राष्ट्रीय एकता, प्रदर्शनी, सेमिनार/कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक शोध पत्र प्रकाशन, विशिष्ट कार्यो के लिए पुरूस्कार की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

21. परम्परागत सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, लोकनृत्य, लोकगायन, नाटक, आल्हा, नौटंकी इत्यादि को विलुप्त ही रही परम्पराओं को पुनः जागृत करना, नृत्य, गायन, संगीत इत्यादि के प्रचार–प्रसार शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान कार्य करना ।

22. ग्रामीण स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सुलभ काम्प्लेक्स, खड़ंजा का निर्माण, पेंटिंग आदि का कार्य कराना एवं लोगो को जागरूक करना।

23. अन्य ऐसे कार्य करना जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत मान्य हो ।

मन्त्री

अध्यक्ष

(5) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम , पता , पद व व्यवसाय जिनकों संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया । वे इस प्रकार है –

क्र0 सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री संजय कुमार	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	मंत्री	कृषि
2.	श्री मिठाई लाल	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	अध्यक्ष	कृषि
3.	श्री शोभनाथ	नटवारपुर, हंडिया, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	कृषि
4.	श्री जवाहर लाल	असरेका पुरा, हंडिया, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती अंकिता सिंह	एम0आई0जी0 612 सेक्टर 2, झूंसी, इला0	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री राम मिलन	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
7.	श्री जागेन्द्र प्रसाद	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
8.	श्री राजित सिंह	लोकनाथपुर, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
9.	श्रीमती चम्पा देवी	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
10.	श्रीमती लालती सिंह	रामधन का पूरा, करछना इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्रीमती मंजू	बरियारी, चांदोंपारा, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवा

अध्यक्ष
सियाडीह ग्राम विकास सेवा संस्थ
हंडिया इलाहाबाद

(6) हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता घोषित करतें हैं कि हमनें इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।

क्र0 सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री संजय कुमार	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	मंत्री	कृषि
2.	श्री मिठाई लाल	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	अध्यक्ष	कृषि
3.	श्री शोभनाथ	नटवारपुर, हंडिया, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	कृषि
4.	श्री जवाहर लाल	असरेका पुरा, हंडिया, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती अंकिता सिंह	एम0आई0जी0 612 सेक्टर 2, झूंसी, इला0	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री राम मिलन	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
7.	श्री जागेन्द्र प्रसाद	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
8.	श्री राजित सिंह	लोकनाथपुर, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
9.	श्रीमती चम्पा देवी	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
10.	श्रीमती लालती सिंह	रामधन का पूरा, करछना इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्रीमती मंजू	बरियारी, चांदोंपारा, हंडिया, इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवा

अध्यक्ष

मंत्री

संशोधित नियमावली

1.	संस्था का नाम	–	सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान हंडिया, इलाहाबाद
2.	संस्था का पता	–	ग्राम किसान सेवा संस्थान, सियाडीह, पो0–हंडिया, तहसील–हंडिया, इलाहाबाद
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा
4.	संस्था का उद्देश्य	:	स्मृति–पत्र के अनुसार ।

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष कम से कम हो चाल–चलन अच्छा हो , शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो संस्थान का सदस्य बन सकता है ।

(अ) पूर्णकालिक सदस्य

(ब) सहयोगी सदस्य :– कौन सदस्य किस वर्ग के योग्य है, इसका निर्धारण अध्यक्ष करेगा । संस्था के अध्यक्ष तथा मंत्री पूर्णकालिक सदस्यों में सें ही होंगे, शेष पदाधिकारी किसी भी वर्ग के हो सकते है।

(अ) पूर्णकालिक सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था के लिए अपने व्यावहारिक दायित्वों से मुक्त होकर संस्था को अपनी सार्वकालिक सेवा प्रदान करेगा वह संस्था का पूर्णकालिक सदस्य होगा ।

(ब) सहयोगी सदस्य :– जो व्यक्ति अपने व्यावहारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने तन, मन, धन से सहयोग करेगा वह संस्था का सहयोगी सदस्य होगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :– सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, स्वयं त्याग–पत्र या शुल्क न जमा करने पर, संस्था के प्रति संदिग्ध आचरण होने पर सदस्यों के बहुमत से सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

सदस्यता के शुल्क :– सभी सदस्यों को सदस्यता शुल्क एक सौ (100/–) रूपये वार्षिक देय होगा ।

अध्यक्ष
सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान
हंडिया, इलाहाबाद

मंत्री
सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान
हंडिया, इलाहाबाद

प्रतिलिपि

7. संस्था के अंग :— संस्था के दो अंग होंगे :—

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

— साधारण सभा :—

(अ) गठन :— सभी सदस्यों को मिलाकर एक साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

(ब) बैठकें :— साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक बार होगी । आवश्यकता पड़ने पर अधिक भी हो सकती है ।

(स) सूचना अवधि :— साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दे दी जायेगी, किन्तु विशेष बैठक की सूचना कभी भी देकर बैठक की जा सकती है ।

(द) गणपूर्ति :— संस्था के सभी सदस्यों में से अध्यक्ष को छोड़कर कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा की गयी बैठक को सभा की गणपूर्ति मानी जायेगी ।

(य) वार्षिक अधिवेशन :— संस्था की साधारण सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार मई माह में किया जायेगा ।

(र) साधारण सभा के कर्तव्य :— संस्था के बजट एवं कार्यक्रम के आयोजन पर विचार करना ।

— निर्वाचन के अवसर पर प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का चयन करना ।

— संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन हेतु आवश्यक सुझाव देना ।

— प्रबन्धकारिणी समिति :—

(अ) गठन :— प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा, जिसमें मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सहित कुल 11 (ग्यारह) होंगे। आवश्यकता पड़ने पर पद एवं सदस्यों की संख्या बढ़ाई तथा घटायी जा सकती है ।

(ब) बैठकें :— प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके कम से कम वर्ष में दो बार होगी ।

(स) सूचना अवधि :— प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा आपात बैठक की सूचना लिखित रूप से कभी भी दी जा सकती है ।

(द) गणपूर्ति :— प्रबन्धकारिणी समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी तथा निर्णय बहुमत से होंगे । समिति के किसी निर्णय पर न पहॅंचने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

अध्यक्ष

सियारीह ग्राम विकास सेवा संस्थान, हैदिया

मंत्री

सत्य प्रतिलिपि

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति में किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए साधारण सभा से अध्यक्ष द्वारा सक्षम व्यक्ति का चयन किया जायेगा ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य

– संस्था के सभी सम्पत्तियों एवं निधियों के रख–रखाव का प्रबन्ध करना ।
– संस्था के हित में वह सभी कार्य करना जो आवश्यक हों ।
– संस्था के वैतानिक कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्य निर्धारण तथा वेतनादि का भुगतान करना ।
– संस्था की उन्नति व बहुमुखी विकास के निमित्त वह सब कुछ करना, जो आवश्यक हो ।

(ल) कार्यकाल :– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल चुनाव न होने की स्थिति में सामान्यतः 5 वर्ष का होगा । कार्यकाल समाप्त होने पर साधारण सभा द्वारा पुनः प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा ।

8. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

(अ) अध्यक्ष :–

1. समिति के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. विशेष स्थिति में बैठक बुलाने हेतु मंत्री को आदेशित करना।
3. संस्था के वैतानिक कर्मचारियों की नियुक्तियों/विमुक्ति हेतु मंत्री को आदेशित करना ।
4. समिति के किसी सदस्य की संस्था विरोधी गतिविधि अथवा संदिग्ध आचरण की स्थिति में सदस्यों की दो तिहाई बहुमत से सदस्यता समाप्त करना ।
5. संस्था में किसी प्रकार के विवाद होने अथवा समिति के किसी निर्णय पर न पहुंच पाने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
6. किसी भी पदाधिकारी व सदस्य के त्याग–पत्र को स्वीकार कर प्रबन्धकारिणी समिति को सूचित करना।

(ब) उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करना।

अध्यक्ष

मंत्री

(स) मंत्री :–

1. अध्यक्ष की आज्ञा से प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक आहूत करना ।
2. आवश्यकतानुसार यथाविधि सदस्यों को सूचित करना तथा बैठकों को आयोजित करना ।
3. बैठक की कार्यवाही का विवरण रखना ।
4. संस्था की समस्त वाह्याभ्यन्तर गतिविधियों से अध्यक्ष को अवगत कराना तथा उसके निर्देशानुसार कार्यवाही करना ।
5. संस्था की कार्यवाही पंजिका, सूचना पंजिका, सदस्यता पंजिका, पत्राचार पंजिका आदि पत्रजातों के सुचारू रूप से रख–रखाव की व्यवस्था करना ।

(द) कोषाध्यक्ष :–

1. समिति कोषों की व्यवस्था करना ।
2. अध्यक्ष की स्वीकृति के अनुसार व्यय करना ।
3. संस्था के आय–व्यय का विवरण तैयार करना तथा उसका निजी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण द्वारा आडिट कराना ।
4. संस्था के आकस्मिक व्यय के लिए कम से कम 1000/– रूपये तक अपने पास रखना ।

9. संस्था के नियमों व विनियमों के संशोधन की प्रकिया :–
संस्था के उपस्थिति सदस्यों की गणपूर्ति के बाद बहुमत द्वारा संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन किया जायेगा ।

10. संस्था का कोष किसी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर रखा जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जायेगा ।

11. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :–
संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत आय–व्यय निरीक्षक के माध्यम से अध्यक्ष की अथवा सचिव की उपस्थिति में संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण किया जायेगा ।

12. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का दायित्व :–
संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त अदालती कार्यवाही का दायित्व अध्यक्ष तथा सचिव पर होगा ।

अध्यक्ष

मंत्री

सत्य प्रतिलिपि

13. संस्था के अभिलेख :–
सदस्यता पंजिका, कार्यवाही पंजिका, पत्राचार पंजिका, सूचना पंजिका, स्टाफ पंजिका तथा कैश बुक आदि होंगे ।

14. संस्था की समाप्ति :–
भूमि के साथ–साथ आश्रमीय भवन, विद्यालय भवन, छात्रावास, अध्यापक आवास, कर्मचारी आवास, कीड़ा स्थल आदि संस्था की स्थायी सम्पत्ति तथा कोषों में यथा समय जमा धनराशि अस्थायी मानी जायेगी , जिसके आवश्यकतानुसार कय–विकय का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष का होगा ।

15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति :–
संस्था के विघटन एवं उसकी विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत की जायेगी । यदि किसी कारण से समिति की गतिविधियॉ रूक गई हो अथवा समाप्त की जानी हो तो प्रबन्ध समिति इसे संकल्प द्वारा आम सभा की सिफारिश करेगी जो बदले में 30 दिन लिखित नोटिस देने के पश्चात् संस्था को विघटित करने हेतु निर्णय विशेष रूप से आयोजित बैठक में 2/3 सदस्यों की सहमति लेगी । संस्थान के विघटन पर इसके सभी देयताओं एवं सम्पत्तियों की संतुष्ठि के पश्चात् यदि कोई पर सम्पत्ति अथवा सम्पत्तियॉ चल अथवा अचल जो कुछ भी हो बाकी बच जाती है संस्था तथा दानकर्ता दानकर्ताओं के बीच किसी न्याय तथा न्यायों से प्रभावित न हो उसे संस्था के सदस्यों अथवा उनमें से किसी को भी भुगतान अथवा वितरित नहीं किया जायेगा । अपितु इसे केन्द्रीय प्रमाण–पत्र के अनुमोदन से समान उद्देश्य वाली किसी दूसरी समान संस्थान को विशेष क्षेत्र रूप से आयोजित आम सभा की बैठक में उपस्थित कम से कम 2/3 सदस्यों के मतों से अथवा इसके अभाव में जिले मूल क्षेत्र के प्रधान न्यायालय द्वारा जिसमें संस्था का पंजीकृति कार्यालय स्थित है , अवधारित किया जायेगा ।

अध्यक्ष

मन्त्री

सत्य प्रतिलिपि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

INDIA

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 435033

सिपाहीह ग्राम किसान सेवा समिति
इलाहाबाद ... K-9350
सम्भाव्य स्कीतिपत्र ... के साथ संलग्न है।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
24-7-06

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 435034

सियाजीप ग्राम विलास सेवासंस्थान

इलाहाबाद ... के साथ संलग्न है K-9350

संशोधित नियमावली

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

[illegible]-7-06

कार्यालय सहायक निबंधक [illegible]
उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AC 741481

सियाडीह ग्राम किसान सेवा संस्थान

हंडिया, इलाहाबाद।

<u>प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2013–14</u>

क्र0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री संजय कुमार	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद।	मंत्री	कृषि
2.	श्रीमती चम्पा देवी	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद।	अध्यक्ष	कृषि
3.	श्री शोभनाथ	नटवारपुर, हंडिया, इलाहाबाद।	उपाध्यक्ष	कृषि
4.	श्री जवाहर लाल	असरेका पुर, हंडिया, इलाहाबाद।	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्रीमती अंकिता सिंह	एम0आई0जी0 612 सेक्टर–2 झूंसी, इलाहाबाद।	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री राम मिलन	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद।	सदस्य	कृषि
7.	श्री जागेन्द्र प्रसाद	सियाडीह, हंडिया, इलाहाबाद।	सदस्य	कृषि
8.	श्री प्यारे लाल भारतीय	विक्रमपुर, धनूपुर, इलाहाबाद।	सदस्य	कृषि
9.	श्री अनिल कुमार	40/8, इण्डस्ट्रीरियल कालोनी, नैनी, इलाहाबाद।	सदस्य	अधिवक्ता
10.	श्रीमती लालती सिंह	रामधन का पूरा, करछना, इलाहाबाद।	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्रीमती मंजू	बरियारी चांदोंपारा, हंडिया, इलाहाबाद।	सदस्य	समाजसेवा

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
21-3-14

लालती
मंजू सिंह
शोभनाथ